अध्याय-II

लेखापरीक्षा ढांचा

अध्याय 2

लेखापरीक्षा ढांचा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, कि

- राज्य विधानसभा द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त रूप से सम्मिलित किए गए;
- उपर्युक्त तरीके से स्थापित संस्थानों/संस्थागत तंत्रों द्वारा उनके कार्यों/जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु राज्य सरकार ने **शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त किया** और राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों के **अधिकतम हस्तांतरण** का आंकलन करना।
- यह आंकलन करना कि क्या शहरी स्थानीय निकाय को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए **पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने** के लिए सशक्त किया गया है; तथा
- यह आंकलन करना कि क्या शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए **पर्याप्त मानव संसाधन प्राप्त करने** का अधिकार दिया गया है।

2.2 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992;
- हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994;
- हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994;
- हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994;
- नगर निगम/परिषद व्यवसाय के उपनियम;
- केंद्रीय/राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन;
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट; तथा
- राज्य सरकार के आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्रों तथा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश।

2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा सितंबर 2020 से मार्च 2021 के माह के दौरान की गई थी। सभी स्तरों के 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 14 शहरी स्थानीय निकायों एवं 05 चयनित पैरास्टेटल्स की नमूना-जांच की गई थी। शहरी स्थानीय निकायों का चयन प्रत्येक स्तर पर 2011 की जनसंख्या जनगणना को आधार मानकर सरल यादृच्छिक नमूनाकरण द्वारा किया गया है। चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाई गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पांच चयनित क्षेत्रों के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की दक्षता एवं पर्याप्तता का आंकलन करने के लिए नमूना-जांच की गई थी:

i) संपत्ति कर

ii) जल आपूर्ति

iii) जल कर/शुल्क

iv) सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता

v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

02 नवंबर 2020 को सचिव, शहरी विकास के साथ आंरभिक सम्मेलन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों व मापदंडों के विषय में बताया गया। प्राप्त किए गए विभागीय उत्तरों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा पद्धति में दस्तावेज़ विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर शामिल थे।

13 जनवरी 2022 को प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग के साथ एक अंतिम बैठक आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा बैठक के विचार विमर्श को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मलित किया गया है।

2.4 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश आवासीय और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा), स्मार्ट सिटी द्वारा दिए गए तथा सभी नमूना-

जांचित शहरी स्थानीय निकायों को निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने में किए गए सहयोग तथा सहायता को प्रदान करने पर आभार व्यक्त करता है।

2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

कार्यों, निधियों एवं पदाधिकारियों के हस्तांतरण की स्थिति से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय III - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

अध्याय IV - शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण एवं कार्यों का हस्तांतरण

अध्याय V - शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

अध्याय VI - शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन

अध्याय VII - निष्कर्ष